



Memo No. DSPMU/DSW/190E/23

Dated: 01/03/23

सूचना

4 मार्च 2023 को परिसर के मुख्य गेट के निकट छात्रों द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-

1. हर हाल में विश्वविद्यालय का वैध परिचय पत्र रखना अनिवार्य है। आप सभी को सुनिश्चित करना है की बाहर के छात्र इसमें शामिल न हो।
2. मादक द्रव्य का सेवन वर्जित है अतः वैसे किसी भी व्यक्ति ने जिसने मादक द्रव्य का सेवन किया हो, वह इसमें शामिल नहीं होगा।
3. यदि किसी को मादक द्रव्य का सेवन किये हुए पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. अश्लील एवं अशोभनीय गानों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा।
5. छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो जिसका हर हाल में पालन अनिवार्य है।
6. कार्यक्रम का समापन किसी भी परिस्थिति में 02.00 बजे करना अनिवार्य है।

Sd/-

(एस० एम० अब्बास)

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची